OFFICE OF THE CONVENER
RAJASTHAN PRE VETERINARY TEST (RPVT-2025)
RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Prof. (Dr.) Urmila Pannu
Convener

Mob. No. 9460226250
Email- rpvtrajuvas@gmail.com

No. F. (1) RAJUVAS/RPVT-2025/2025-26/356 Dated: 23.07.2025

किराये पर वाहन हेतु अल्प अवधि निविदा अनुरोध

RPVT-2025 परीक्षा के अन्तर्गत बीकानेर से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आने–जाने एवं सम्बन्धित स्टेशन पर स्थानीय कार्य हेतु किराये पर SUV वाहन (ए.सी.) उपलब्ध करवाने हेतु RTPP ACT नियमों के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा बन्द लिफाफे में Convener RPVT, RAJUVAS, Bikaner के नाम से निविदा अंकित कर दिनांक 26/07/2025 शाम 4.00 बजे तक कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदा दिनांक 27/07/2025 को प्रातः 11.00 बजे गठित कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा संबंधी नियम, शर्ते निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	वाहन किस्म	दिनांक	यात्रा विवरण	वाहन संख्या	दर प्रति किलोमीटर
1	SUV(Innova/Bolero/ Scorpio/Ertiga) etc.	01 से 03 अगस्त, 2025	बीकानेर से जयपुर आना व जाना	21	
			बीकानेर से उदयपुर आना व जाना	04	
			बीकानेर से जोधपुर आना व जाना	05	
			कुल	**30**	

नियम एवं शर्ते

1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये।
2. वाहन चालक के पास लाईसेंस होना व साक्षर होना चाहिए वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद उसको यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।
3. **वाहन वर्ष 2019 से पुराना नहीं होना चाहिए एवं वाहन 01 लाख कि.मी. के कम चले हुए होने चाहिए। टैक्सी वाहन के अलावा दूसरा पर्सनल वाहन मान्य नहीं होगा।**
4. विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिये गये वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों को न्यूनतम कि.मी. प्रतिदिन की दूरी से गुणा करके या यात्रा के दौरान कुल तय की गई दूरी में से जो भी ज्यादा होगा के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।
   (अ) वाहन 150 कि.मी. प्रतिदिन से कम चलने पर न्यूनतम 150 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर यदि तीन दिवस में वाहन 350 कि.मी. दूरी तय करता है तो प्रतिदिन 150 कि.मी. के हिसाब से तीन दिन का कम से कम 450 किमी. का भुगतान देय होगा।
   (ब) दिन की गणना वाहन उपयोग लेने वाले अधिकारी के पास वाहन पहुंचने की दिनांक व समय यात्रा पूर्ण कर अधिकारी द्वारा वाहन को छोडने की दिनांक व समय से की जायेगी।
   उदाहरणार्थ
   (क) यदि वाहन संबंधित अधिकारी के पास (दिनांक 01.08.2025 को सांय 04.00 बजे पहुंचता है तथा अधिकारी यात्रा पूर्ण कर दिनांक 03.08.2025 को सांय 04.00 बजे वाहन छोडता है तो) दो दिन गिने जायेंगें और उसी प्रकार से भुगतान किया जायेगा।
5. कि.मी. की गणना यात्रा पर रवाना होने के स्थान तथा अधिकारी के निवास/कार्यालय से मानी जावेगी जिसका इन्द्राज लोग बुक में करके व अधिकारी के हस्ताक्षर कर बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करना होगा।
6. **वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी और दूसरा वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।** वाहन खराब होने की स्थिति में एक पूरी तरह से अनुपालित प्रतिस्थापन वाहन (सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाला) को एक सख्त अधिकतम समय–सीमा के भीतर (उदाहरण के लिए शहर की सीमा में 30 मिनट बाहर के लिए 60 मिनट) प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर महत्वपूर्ण दंड लगाया जाएगा। इसके स्वरूप उपभोक्ता/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नये वाहन के किराये का सम्पूर्ण व्यय दंड के स्वरूप सम्बन्धित फर्म को ही भुगतान वहन करना होगा।
7. भुगतान हेतु पेन नम्बर की प्रति व बिल की दो प्रतियॉ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लोग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा ऐसा न करने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Urmila

OFFICE OF THE CONVENER
RAJASTHAN PRE VETERINARY TEST (RPVT-2025)
RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Prof. (Dr.) Urmila Pannu
Convener

Mob. No. 9460226250
Email- rpvtrajuvas@gmail.com

No. F. (1) RAJUVAS/RPVT-2025/2025-26/ Dated: 23.07.2025

8. टोल टैक्स/सर्विस टैक्स/वाहन पार्किंग एवं नाईट चार्ज इत्यादि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
9. जी एस टी बिल ही पारित किए जाऐंगे जिसका पुनर्भरण विश्वविद्यालय करेगा।
10. निविदा में जो दरें स्वीकृत की गई है उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा ईधन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों के किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
11. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। बिलों की राशि से आयकर की कटौती कर ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।
12. बीकानेर के स्थानीय कार्य हेतु वाहन लेने पर 100 कि.मी. से अधिक चलने पर 100 कि.मी. की एक मुश्त राशि अतिरिक्त प्रति कि.मी. की राशि देय होगी।
13. दरें 500/–रू के NJS पर फर्म द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के साथ Agreement करने पर ही मान्य होगा।
14. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है और निविदादाता द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे पाबंद करने हेतु भी अधिकृत है।
15. उपरोक्त दरें दिनांक 10/08/2025 तक मान्य होंगी एवं आवश्यकतानुसार बढाया व घटाया जा सकता है।
16. अनुमोदित फर्म द्वारा निर्धारित वाहन (आदेशानुसार) नही उपलब्ध कराने की स्थिति में ठेके को निरस्त कर फर्म को **Blacklist** कर दिया जायेगा।
17. फर्म का प्रोपराईटर स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकेगा।
18. **चालक की पृष्ठभूमि की जॉच और गोपनीयता :**
अनिवार्य पुलिस सत्यापन फर्म द्वारा नियुक्त किए गए सभी चालकों का पुलिस सत्यापन/पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य रूप से किया जाए, और फर्म को इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
19. **गोपनीयता का वचनः** फर्म और उसके नियुक्त चालकों को गोपनीय परीक्षा सामग्री और जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी गैर–प्रकटीकरण समझौता (NDA) हस्ताक्षरित करना होगा। किसी भी उल्लंघन पर तत्काल अनुबंध समाप्ति और कानूनी कार्यवाई सहित गंभीर दंड लगाया जाएगा।
20. **चालक का आचरणः** चालकों को पेशेवर आचरण बनाए रखना होगा, साथ में चल रहे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्शेशों का कडाई से पालन करना होगा, और ड्यूटी के दौरान अनाधिकृत संचार या गतिविधियों से बचना होगा।
21. **वाहन की सुरक्षा और निगरानीः**
वाहन का निरीक्षणः विश्वविद्यालय परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात होने से पहले किसी भी वाहन का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ताकि उसकी उपयुक्तता, यांत्रिक फिटनेस और सुरक्षा सुविधाओं (जैसे काम करने वाले ताले, सही खिडकियां) को सुनिश्चित किया जा सके।
22. **गोपनीय कर्तव्यों के लिए परिचालन प्रोटोकॉलः**
सीधा मार्ग और कोई अवांछित ठहराव नहींः वाहन को निर्धारित मार्ग का पालन करना होगा और गंतव्य तक सीधे जाना होगा, बिना किसी अवांछित ठहराव या मार्ग से भटके, जब तक कि साथ में चल रहे विश्वविद्यालय अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश न दिया जाए।
कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहींः परीक्षा ड्यूटी के दौरान वाहन में केवल अधिकृत विश्वविद्यालय कर्मी/पर्यवेक्षक और चालक ही अनुमत होंगे। किसी अन्य यात्री की अनुमति नहीं होगी।
तत्काल रिपोर्टिंगः चालक के पास एक कार्यशील मोबाइल फोन होना चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित देरी, घटना या खराबी की सूचना तुरंत नामित विश्वविद्यालय संपर्क व्यक्ति को देनी होगी।

Urmila 23/7/25

समन्वयक, आर.पी.वी.टी.–2025

मै/हम राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी की गई दर संविदा में विर्णित तथा संलग्न निविदा शर्तों की पालना करने हेतु सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर